



ईपीएफओ, मुख्य कार्यालय  
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार  
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066  
EPFO, HEAD OFFICE  
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA  
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAIJI CAMA PLACE, NEW DELHI 110066  
www.epfindia.gov.in



संख्या : पेंशन/2022/54877/15238

दिनांक: 05.01.2023

**शुद्धिपत्र**

सेवा में,

सभी अपर के.भ.नि.आ., आंचलिक कार्यालय

सभी क्षे.भ.नि.आ./कार्यालय प्रभारी, क्षेत्रीय कार्यालय

**विषय: विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 2019 का 8658-8659 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44 (v) और (vi) के साथ पठित पैरा 44 (ix) में निहित आदेशों के अनुपालन के संबंध में निर्देश ।**

महोदया/महोदय,

यह ऊपर उद्धृत विषय पर मुख्यालय परिपत्र संख्या पेंशन/2022/54877/15149 दिनांक 29.12.2022 के संदर्भ में है।

उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 7 के उप पैरा ii को इस प्रकार पढ़ा जाए :

"ii. सत्यापन के लिए आवेदन पत्र में अस्वीकरण उसमें यथा निर्दिष्ट शामिल होगा ।"

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 11 को इस प्रकार पढ़ा जाए :

"11. ये निर्देश ऊपर उल्लिखित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पत्र के संदर्भ में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए हैं।"

[केंभनिआ के अनुमोदन से जारी]

भवदीय,

ह./-

(अनिमेष मिश्र)

अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त (पेंशन)

प्रतिलिपि : -

1. भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव के निजी सचिव।
2. अवर सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पत्र संख्या आर-15011/03/2022-एसएस-II दिनांक 22.12.2022 एवं पत्र संख्या आर-15011/3/2022-एसएस-II दिनांक 04.01.2023 के संदर्भ में।
3. केंद्रीय भ.नि. आयुक्त के निजी सचिव।
4. मुख्यालय के सभी अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त (मुख्यालय) तथा अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। इसके अलावा, ऑनलाइन आवेदनों के लिए बिना कोई विलंब क्षेत्रीय कार्यालयों को आईएसडी द्वारा यूआरएल के बारे में सूचित किया जाए।